न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 118 / 2023

उनवान

1 किशन लाल पुत्र श्री देवी लाल तेली नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमती संतोक पत्नी श्री शंकर लाल गाडरी नि0 सुवाणा तह0 व जिला भीलवाडा(राज.)
2 श्रीमती सोहनी पत्नी श्री भूतरमल गाडरी नि0 गठिलाखेडा तह0 व जिला भीलवाडा(राज.)
3 श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री दिलीप कुमार शर्मा नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4 हीरा पुत्र श्री नन्दा गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5 ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह राजपूत नि0 सुभाषनगर, भीलवाडा तह व जिला भीलवाडा।
6 भूरी पत्नी श्री नाथू गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7 रूकमा पुत्री श्री नाथू गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 12.07.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 61 की आ.न. 1115/1 रकबा 0.3667है0, आ.न. 1116/2 रकबा 0.2023है0, आ.न. 1117/1 रकबा 0.0632है0, आ.न. 1390/1117 रकबा 0.1517है0, कुल किता 04 कुल रकबा 0.7839 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.07.202 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 06,07 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 06,07के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 06,07 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2025.07.01 15:33:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसी[illegible]ढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 61 की आ.न. 1115/1 रकबा 0.3667है0, आ.न. 1116/2 रकबा 0.2023है0, आ.न. 1117/1 रकबा 0.0632है0, आ.न. 1390/1117 रकबा [illegible] कुल रकबा 0.7839 है0 भू[illegible] है।**जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्र[illegible] अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/–[illegible] प्रार्थी राजकोष में जमा [illegible] साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा) [illegible]अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner